

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
24/08/2022 15:17 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/08/2022 Time (समय): 15:17 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date and Time (दिनांक और समय): 24/08/2022 15:17 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 55 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): कुरुक्षेत्र,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): KURUKSHETRA (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक सोमेश कुमार

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	अम्बाला, जिला अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	अम्बाला, जिला अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अशोक कुमार निरिक्षक आबकारी कुरुक्षेत्र			1. निरिक्षक, आबकारी, कुरुक्षेत्र, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है-
सेवा में,
थाना प्रबंधक
राज्य चौकसी ब्यूरो
अम्बाला मण्डल अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 07 दिनांक 17.09.2018 कुरुक्षेत्र मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 33/23/2018-3चौकसी(I) दिनांक 24.08.2018 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 13196-97/आई-3/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 17.09.2018 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यू0 अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 1279 दिनांक 19.09.2018 के अनुसार जांच हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें आसूचना रिपोर्ट के आधार पर अन्य आरोपो के अतिरिक्त आरोप था कि अशोक कुमार, निरीक्षक आबकारी, कुरुक्षेत्र द्वारा रिश्तित राशि के पैसो से रोहतक में वर्ष 2005 के दौरान सैक्टर-03 में एक प्लॉट न0 1443 खरीदा और उस पर आलीशान कोठी का निर्माण किया। एक फ्लैट अपनी पत्नी के नाम से सनसिटी रोहतक में खरीद किया। अपने बच्चों को दूसरे राज्य के हाई-फाई स्कूलां/कालेजों में पढ़ा रहा है। अशोक कुमार आबकारी निरीक्षक ने वर्ष 2014 से 2017 के दौरान गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत वगैरा में फ्लैट/प्लॉट खरीद किए हुए हैं। आरोपो की पड़ताल पर पाया गया कि अशोक कुमार, दिनांक 28.08.1995 को आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम में बतौर स्टैनो नियुक्त हुआ था। दिनांक 01.07.2009 को अशोक कुमार की पदोन्नति आबकारी निरीक्षक के पद पर होने उपरान्त वह जिला भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र में कार्यरत रहा है। प्रतिवादी अशोक कुमार द्वारा अपने व अपनी पत्नी श्रीमति बबली मलिक के नाम से 210 Sq Ft. का एक प्लॉट सैक्टर-03 हुड्डा रोहतक में प्रलेख संख्या 5848 दिनांक 25.08.2005 अनुसार खरीदने पर कुल 4,52,500/-रुपये की राशि, श्रीमति बबली मलिक के नाम से दिनांक 18.04.2013 को 3 बी.एच.के. फ्लैट न0 एल-204 सैक्टर-36 सनसिटी, रोहतक में कुल 31,85,514/- रुपये की राशि, दिनांक 05.08.2015 को एक रिहायशी प्लॉट गांव बिरसणी तहसील विकास नगर जिला देहरादून में 3,50,000/- रु0 की राशि, दिनांक 03.02.2018 को एक प्लॉट न0 बी-84, सैक्टर-34 बी.ब्लाक सनसिटी, रोहतक में बुक करवाने उपरान्त अलग-अलग तिथियों में किशतों के रूप में माह सितम्बर 2018 तक कुल 44,72,701/- रुपये की राशि, प्रतिवादी अशोक कुमार निरीक्षक आबकारी विभाग, श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सुभाष दहिया वासी म0न0 1837 सैक्टर-3 रोहतक, श्री संजीव फौगाट पुत्र श्री स्वः श्री बनी सिंह वासी गांव भालोठ जिला रोहतक द्वारा संयुक्त/पार्टनरशिप में वर्ष 2017 में प्लॉट न0 1531 सैक्टर-57 गुरुग्राम जिसका रकबा 286 Sq.Mt मुबलिक राशि 1,20,000,00/-रुपये स्टाम्प ड्यूटी 8,40,000/- सहित प्रलेख संख्या 4742 दिनांक 23.06.2017 अनुसार खरीद किया गया है। जिसमें पार्टनरशीप के आधार पर प्रतिवादी अशोक कुमार का तीसरा हिस्सा 42,80,000/- रुपये खर्च, वर्ष 2008 में प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति बबली मलिक ने अपने नाम पर एक कार मार्का मारुति स्वीफ्ट, पंजीकरण संख्या HR 12-K-5262 राशि 5,30,000/- रुपये, वर्ष 2015 में पुरानी गाड़ी पंजीकरण संख्या HR-12-K-5262 को Exchange Offer में 2,30,000/- देकर व एक्सिस बैंक शाखा मुंजाल काम्पलेक्स दिल्ली रोड, रोहतक से 2,50,000/- कार लोन के रूप में प्राप्त करके मारुति कार VXi पंजीकरण न0 HR-12-Z-1928 कुल 5,38,646/-रुपये की राशि व वर्ष 2014 में प्रतिवादी द्वारा उसकी पत्नी बबली मलिक के नाम से एक Honda ACTIVA स्कूटर पंजीकरण संख्या HR-12-Z-0449 मुबलिक राशि 46,000/- रुपये में खरीद करने पर खर्च, मकान न0 1443 हुड्डा सैक्टर-3, रोहतक में मकान निर्माण पर कार्यकारी अभियन्ता राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला द्वारा मूल्यांकन अनुसार 12,13,000/-रुपये की राशि खर्च की जानी दर्शाई गई है। उपरोक्त अनुसार अशोक कुमार आबकारी निरीक्षक कुरुक्षेत्र हाल आबकारी निरीक्षक सोनीपत द्वारा अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम वर्ष 1995 से 2018 तक अपनी आमदन के स्रोत से कुल 1,67,16,238/- रुपये की चल अचल सम्पत्ति बनाई जानी पाई गई है व अपने वेतन व जायज स्रोतों से कुल आय 1,14,21,090/-- रुपये होनी पाई गई है। उक्त द्वारा अलग-अलग वर्षों वर्ष 2008 में 8,71,594/-रुपये, वर्ष 2009 में 7,71,672/-रुपये, वर्ष 2010 में 6,32,411/-रुपये, वर्ष 2011 में 4,63,736/- रुपये, वर्ष 2012 में 2,59,026/- रुपये, वर्ष 2013 में 5,60,036/- रुपये, वर्ष 2014 में 14,27,156/- रुपये, वर्ष 2015 में 21,21,193/-रुपये, वर्ष 2016 में 18,00,165 रुपये, वर्ष 2017 में 52,62,916 रुपये व वर्ष 2018 में 52,95,148 रुपये कुल अलग-अलग वर्षों में राशियों का खर्च आय से अधिक होना तथा वर्ष 1995 से 2018 तक कुल 52,95,148 रुपये अधिक खर्च किए जाने पर अशोक कुमार, निरीक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग के विरुद्ध धाराधिन 13 (1)E r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अर्कित किए जाने का सुझाव दिया गया था। जो कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 11008/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 11.07.2022 अनुसार अन्तिम रिपोर्ट टिप्पणी सहित मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 33/23/2018-3 चौकसी - 1 दिनांक 28.07.2022 व कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के

पृष्ठांकन क्रमांक 12462/आई-1/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 02.08.2022 के अनुसार उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अशोक कुमार, निरीक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग हाल आबकारी एवं कराधान विभाग सोनीपत के विरुद्ध धाराधीन 13(1)E r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख मोहरर थाना राज्य चौकसी ब्यूरां अम्बाला मण्डल अम्बाला को प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए निरीक्षक जोगिन्द्र राज्य चौकसी ब्यूरां उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र के हवाले की जाए।

हस्ताक्षर अंग्रेजी
(सोमेश कुमार)
निरीक्षक
राज्य चौकसी ब्यूरां
अम्बाला।

अज थाना:- लिखित लेख उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 13342/आई-1/रा.चौ.ब्यू. (ह) दिनांक 18.08.2022 व कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 987 दिनांक 24.08.2022 अनुसार थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 18 दिनांक 24.08.2022 बाजुर्म उपरोक्त थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट स.उ.नि. विकास कुमार न. 4/421 के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड निजद अनुसंधानकर्ता निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, कुरुक्षेत्र भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
JOGINDER SINGH

No. (सं.): 66 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
of Police)

No. (सं.): hps

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

